

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
खाद्य एवं रसद विभाग,
उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक : 18 मई, 2021

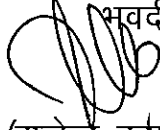
विषय:- कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिये सभी राशन कार्ड धारकों को 03 माह की अवधि तक राशन निःशुल्क उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिये सभी राशन कार्ड धारकों को 03 माह का राशन निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने एवं जिन पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, अभियान चलाकर उनके राशन कार्ड बनाते हुये उन्हें तत्काल राशन उपलब्ध कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है।

2. उक्त निर्णय के अनुपालन में सभी राशन कार्ड धारकों को 03 माह (जून, जुलाई एवं अगस्त, 2021) का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाना है। भारत सरकार द्वारा निर्गत SDRF की गाइड लाइन के अन्तर्गत उक्त व्यय अनुमन्य नहीं है। वित्त विभाग द्वारा इस हेतु खाद्य एवं रसद विभाग को पूर्व में ही अतिरिक्त बजट आवंटित किया जा चुका है। अतएव सभी राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण खाद्य एवं रसद विभाग को आवंटित विभागीय बजट से किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में वितरण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सभी राशन कार्ड धारकों को खाद्य एवं रसद विभाग के Public Distribution System के माध्यम से 03 माह (जून, जुलाई एवं अगस्त, 2021) का निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने के साथ ही जिन पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, उन्हें अभियान चलाकर बनवाते हुये उन्हें भी तत्काल निःशुल्क राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।


(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

सख्या-345(1)/एक-11-2021 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ।
9. गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10. राजस्व अनुभाग-10/गार्ड फाइल।

10/08/2021 W.M.

आज्ञा से,

(रेणुका कुमार) 18/8/21
अपर मुख्य सचिव।